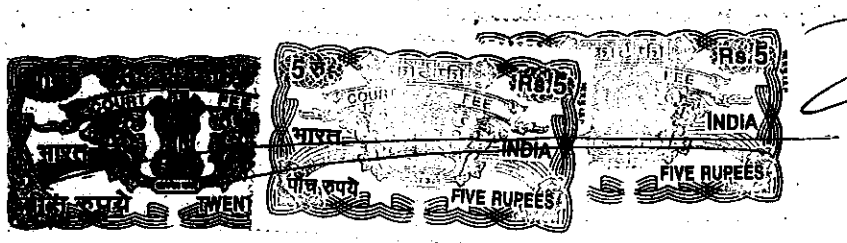

240

नि0 3632–II–16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–अशोकनगर

गोरेलाल पुत्र श्री किशोरी सहरिया, निवासी ग्राम कुलवार, कृषक ग्राम आकलोन तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर (म.प्र.)
— आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा – कलेक्टर जिला अशोकनगर
— अनावेदक

302
18.10.16

न्यायालय कलेक्टर, जिला अशोकनगर द्वारा क्रमांक 349/बी–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 23.08.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर, जिला अशोकनगर द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, आवेदक द्वारा कलेक्टर, अशोकनगर के समक्ष ग्राम आकलोन में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 341/3/3 रकवा 0.418 हैक्टेयर भूमि के विक्रय अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें कलेक्टर न्यायालय द्वारा ग्राम पटवारी से रिपोर्ट बिन्दुवार लिये जाने का आदेश पारित किया गया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र पर सद्भाविक विचार किये बिना जो कार्यवाही की गयी है, वह विधिवत नहीं होन से अपास्त किये जाने योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3632/11/2016 जिला–अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20.10.16	यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 349/बी–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 23.08.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक द्वारा कलेक्टर, अशोकनगर के समक्ष ग्राम आकलोन में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 341/3/3 रकवा 0.418 हैक्टेयर भूमि पर आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है। उक्त भूमि के विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन कलेक्टर, जिला अशोकनगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस पर सद्भाविक विचार नहीं किया गया है एवं प्रकरण में कार्यवाही जारी रखी गयी है, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है। 3– आवेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में बताया था। आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि को विक्रय करने की अनुमति हेतु आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त भूमि को विक्रय करने के पश्चात् आवेदक के पास भूमि सर्वे क्रमांक 314/1/5 रकवा 0.418 हैक्टेयर भूमि शेष बचेगी, जो उसके भविष्य के लिए जीवन निर्वाह को पर्याप्त है। ऐसी स्थिति में स्थिति में भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु कलेक्टर,	

[redacted] अशोकनगर द्वारा उपरोक्त तथ्य पर विचार किये बिना प्रकरण में ना तो विक्रय की अनुमति दी है, बल्कि कार्यवाही को लम्बित रखा गया है, इसलिए विक्रय अनुमति दिये जाने का निवेदन किया गया।

4— अनावेदक म0प्र0 शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में जो कार्यवाही की जा रही है, वह विधिवत एवं सही होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

5— विद्वान अभिभाषक के तर्को पर विचार करने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को पारिवारिक आवश्यकता एवं भूमि उपजाऊ नहीं होने से लाभ की जगह नुकसान हो रहा है एवं उसके द्वारा उपरोक्त भूमि विक्रय करने के पश्चात भूमि शेष बचेगी। जिससे उसका भरण—पोषण हो सकेगा। ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विक्रय अनुमति आवेदन पत्र पर सद्भाविक विचार किये बिना प्रकरण को लम्बित रखा गया है, जोकि कार्यवाही त्रुटिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त आदेश एवं कार्यवाही स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर, जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 349/बी—121/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 23.08.2016 एवं समस्त कार्यवाही अपास्त की जाकर आवेदक को ग्राम आकलोन हल्का नं.51 तहसील ईसागढ में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 341/3/3 रकवा 0.418 हैक्टेयर भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति दी जाती है।

सदस्य